भारत सरकार
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2631
उत्तर देने की तारीख 17 मार्च, 2025
सोमवार, 26 फाल्गुन 1946 (शक)

स्टार्ट-अप और रोजगार सृजन के अवसर बनाना

2631. श्री भोजराज नाग:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार ग्रामीण एवं दूरदराज के क्षेत्रों में छात्रों के लिए कौशल विकास कार्यक्रम तक समान पहुंच किस प्रकार सुनिश्चित कर रही है;

(ख) क्या सरकार द्वारा स्टार्ट-अप निर्माण एवं रोजगार सृजन के अवसरों के संदर्भ में इस पहल के मूल्यांकन पर नजर रखने एवं उसका आकलन करने के लिए कोई कदम उठाया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ग): भारत सरकार, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) के कुशल भारत मिशन (एसआईएम) के अंतर्गत, विभिन्न योजनाओं अर्थात प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस), ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों के उम्मीदवारों सहित देश भर में समाज के सभी वर्गों को कौशल विकास केंद्रों आदि के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से कौशल, पुनर्कौशल

और कौशलोन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करता है। सिम का उद्देश्य भारत के युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करना और उद्योग प्रासंगिक कौशल से लैस करना है।

एमएसडीई की योजनाओं में, वर्ष 2015-16 से 2021-22 तक लागू किए गए पहले तीन संस्करणों (पीएमवीवाई 1.0, पीएमकेवीवाई 2.0 और पीएमकेवीवाई 3.0) में पीएमकेवीवाई के अल्पावधि प्रशिक्षण घटक के तहत नियोजन को ट्रैक किया गया था। पीएमकेवीवाई (1.0, 2.0 और 3.0) के तहत, भारत में कुल 24,43,672 उम्मीदवारों को रोजगार मिली। पीएमकेवीवाई 4.0 के तहत, प्रशिक्षित उम्मीदवारों को अपने विविध कैरियर पथ चुनने के लिए सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है और उन्हें इसके लिए उपयुक्त रूप से उन्मुख किया जाता है। तथापि, एमएसडीई की योजनाओं का स्वतंत्र मूल्यांकन किया गया है। एमएसडीई की प्रमुख योजना प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) का मूल्यांकन नीति आयोग ने अक्तूबर 2020 में रोजगार और कौशल क्षेत्र के तहत किया था। इस अध्ययन के अनुसार, सर्वेक्षण में शामिल लगभग 94 प्रतिशत नियोक्ताओं ने बताया कि वे पीएमकेवीवाई के तहत प्रशिक्षित अधिक उम्मीदवारों को रोजगार प्रदान करेंगे। इसके अलावा, पूर्णकालिक/अंशकालिक रोजगार दिये गए और पूर्व शिक्षण मान्यता (आरपीएल) घटक के तहत उन्मुख 52 प्रतिशत उम्मीदवारों को उच्च वेतन मिला या उन्हें लगा कि उन्हें अपने गैर-प्रमाणित साथियों की तुलना में अधिक वेतन मिलेगा।

एमएसडीई की अन्य योजनाओं के संबंध में, तृतीय पक्ष की मूल्यांकन रिपोर्टों में विभिन्न योजनाओं के तहत प्रशिक्षित उम्मीदवारों की नियुक्ति या आजीविका में सुधार के संदर्भ में सफलता का उल्लेख किया गया है। इसका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:

जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस): 2020 में आयोजित जेएसएस योजना के मूल्यांकन अध्ययन में पाया गया है कि इस योजना ने उन लाभार्थियों की घरेलू आय को लगभग दोगुना करने में मदद की है, जिन्हें जेएसएस प्रशिक्षण के बाद रोजगार मिला है या वे स्व-रोजगार कर रहे हैं। 79% महिला प्रतिनिधित्व, 50.5% ग्रामीण हिस्सेदारी, बेहतर आजीविका के लिए रोजगार में 73.4% बदलाव, प्रत्येक लाभार्थी की औसत आय में 89.1% बदलाव, जेएसएस द्वारा लाभार्थियों का 85.7% जुटाना, रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि योजना की उपयोगिता इस तथ्य से और अधिक स्पष्ट होगी कि 77.05% लाभार्थी प्रशिक्षुओं ने व्यावसायिक बदलाव किए हैं। अध्ययन ने यह भी पुष्टि की कि योजना में कौशल का ध्यान स्व-रोजगार के पक्ष में है।

राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस): वर्ष 2021 में आयोजित एनएपीएस के तृतीय पक्ष के मूल्यांकन अध्ययन में पाया गया है कि इस योजना ने विभिन्न उद्योगों में शिक्षुओं की

भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ, संरचित ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण प्रदान करके युवाओं की नियोज्यता को सफलतापूर्वक बढ़ाया है। योजना के नए संस्करण में, सरकार के हिस्से को सीधे प्रशिक्षुओं के बैंक खातों में स्थानांतरित करने के लिए डीबीटी पद्धति को अपनाया गया है, क्योंकि रिपोर्ट में सुव्यवस्थित प्रतिपूर्ति प्रक्रिया की सिफारिश की गई थी।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई): एमएसडीई द्वारा 2018 में प्रकाशित आईटीआई स्नातकों के ट्रेसर अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि कुल आईटीआई उत्तीर्णों में से 63.5% को रोजगार मिला (जिनमें से 6.7% स्व-रोजगार कर रहे हैं)।

इसके अलावा, भारत सरकार ने नवाचार, स्टार्टअप को बढ़ावा देने और देश के स्टार्ट-अप इकोसिस्टम में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम बनाने के इरादे से 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया पहल की शुरुआत की। स्टार्टअप के लिए फंड ऑफ फंड्स (एफ़एफ़एस), स्टार्ट-अप इंडिया सीड फंड स्कीम (एसआईएसएफ़एस) और स्टार्ट-अप के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीएसएस) जैसी प्रमुख योजनाएं स्टार्ट-अप को उनके व्यापार चक्र के विभिन्न चरणों में सहायता प्रदान करती हैं। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप, देश में डीपीआईआईटी द्वारा 1,61,150 संस्थाओं को स्टार्ट-अप के रूप में मान्यता दी गई है, जिन्होंने कथित तौर पर 17.69 लाख से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार सृजित किए हैं।

*****